

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-काना राम, आई.एस.

प्रकरण संख्या:-33/2023 विविध(धारा 14 सिक्वोरिटाइजेशन)


भारतीय स्टेट बैंक शाखा-लीलावाली, जिला-हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, तनावग्रस्त आरित वसूली शाखा, मेट्रिक्स मॉल, जवाहर नगर, जयपुर।

---प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगसीर पुत्र श्री मुखत्यार सिंह
R/o वार्ड नं. 12, शेरगढ़ (14 MMK), पोस्ट ऑफिस-मानकसर, तहसील-संगरिया,
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---ऋणी



वित्तीय आरितियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश

दिनांक:-21.08.2024

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा-लीलावाली, जिला-हनुमानगढ़ जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी, तनावग्रस्त आरित वसूली शाखा, मेट्रिक्स मॉल, जवाहर नगर, जयपुर की ओर से श्री अमित कुमार वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 7,00,000- (अखरे सात लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थी ने उक्त ऋण सुविधा के तहत प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चों के अदा करने की गारन्टी के रूप में अपनी अचल रिहायशी संपत्ति रिथत पट्टा नं. 22, गाँव-शेरगढ़, पोस्ट ऑफिस-मानकसर, तहसील-संगरिया, जिला हनुमानगढ़ (राज.) (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 35' गुणा 90' = 3150' वर्गफीट), जो कि श्री जगसीर पुत्र श्री मुखत्यार सिंह के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के ऋण खाता को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 29.09.2021 को गैर-निष्पादनीय आरित(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थी के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 15.02.2022 को अप्रार्थी को दिलाते हुए बकाया रकम रु० 8,10,458/- (अखरे आठ लाख दस हजार चार सौ अठावन रुपये) दिनांक 15/02/2022 तक व दिनांक 14/02/2022 तक का व आगे का ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्त के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है और न ही बंधक शुदा संपत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार

07
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपस्थित वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय व्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल रिहायशी संपत्ति स्थित पट्टा नं. 22, गाँव-शेरगढ़, पोस्ट ऑफिस-मानकसर, तहसील-संगरिया, जिला हनुमानगढ़ (राज.) (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 35' गुणा 90' = 3150' वर्गफीट), जो कि श्री जगसीर पुत्र श्री मुख्त्यार सिंह के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



OL
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़